

पंजीकृत/आवश्यक

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023/20856

देहरादून, दिनांक, 12 जून, 2023

सेवा में,

नोडल अधिकारी (आई0टी0 सेल),  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय- स्थानान्तरण सत्र- 2023-24 के क्रम में सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत चिकित्सालयों/कार्यालयों में लिपिक संवर्ग एवं स्टोर कीपर संवर्ग के स्थानान्तरण आदेशों की छायाप्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,  
प्रशासन।

## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

2023A

देहरादून, दिनांक, 09 जून, 2023

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री मुकेश कोठियाल	वरिष्ठ सहायक	प्रा0स्वा0केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

*Bak*  
(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती जमुना जुयाल	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

*Bak*  
(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विक्रम सिंह रावत	प्रधान सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री गजेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0- 05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजीव ठाकुर	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

*Bab*  
(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती प्रेमा बेलवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bab

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, काशीपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

20598

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती तारा भण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bab

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)



## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

20600

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री गंगा प्रसाद बड़ौनी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bah

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री हिमांशु	वरिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र, यमकेश्वर	सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bab

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, यमकेश्वर/ सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/यमकेश्वर/हरिद्वार/भगवानपुर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

20606

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अमित उनियाल	वरिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	प्रा०स्वा०केन्द्र, यमकेश्वर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, यमकेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/यमकेश्वर/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुदर्शन	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र, नारायणबगड़	प्रा०स्वा०केन्द्र, सैलाकुई	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bal

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद चमोली/देहरादून।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, नारायणबगड़/प्रा०स्वा०केन्द्र, सैलाकुई।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चमोली/नारायणबगड़/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023 20610

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजय सिंह	वरिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	प्रा0स्वा0केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

*Bak*  
(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/डुण्डा/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

266/2

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अनुज नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	जिला महिला चिकित्साल, उत्तरकाशी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जन हित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

*Bab*  
(विनीता शाह)  
महानिदेशक।  
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अमित भट्ट	कनिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र, बेतालघाट	क्षयरोगाश्रम, गेटिया, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bat

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद नैनीताल।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम, गेटिया, नैनीताल।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, बेतालघाट।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बेतालघाट/गेटिया।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)



## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

26616

देहरादून, दिनांक, जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री राहुल कुमार	स्टोर कीपर	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

## -: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुभाष चन्द्र	प्रधान सहायक	प्रा0स्वा0केन्द्र, इमलीखेड़ा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bah

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, इमलीखेड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड  
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई:-दूरभाष 0135-2608763,फैक्स 0135-2608746

सेवा में,

नोडल अधिकारी,  
आई0 टी0 सैल,  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्राक-

विषय:-

2प/रा0दन्त/33/2023/२०८५३

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2023

स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत दन्त संवर्गों एवं डेन्टल हाईजिनिस्टों के सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं निजी अनुरोध की पात्रता सूची के अनुसार किये गये स्थानान्तरण को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करने विषयक।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1प/रा0पु0/18/2023/11101 दिनांक 01.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06.02.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभागाध्यक्ष/महानिदेशालय स्तर पर किये जाने वाले विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति गठित की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2023 को वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में स्थानान्तरण समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें दन्त संवर्ग के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट के (कुल 06) एवं दन्त शल्यक के (कुल 08) कार्मिकों को स्थानान्तरण की संस्तुति दी गई।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत दन्त संवर्ग के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट के (कुल 06) एवं दन्त शल्यक के (कुल 08) कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विभागीय वैबसाईट पर समस्त सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(बी0एस0महर)

o/c अपर निदेशक (दन्त)

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड**  
**ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/

दिनांक 09 जून, 2023

**आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित साधारण ग्रेड दन्त शल्यक (समूह 'ख') के संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-03 से कॉलम संख्या-04 में उल्लिखित नई तैनाती पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 स0	दन्त शल्यक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	डा0 शाजिया अल्ताफ	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार	सामु0स्वा0 स्वा0 केन्द्र यमकेश्वर, पौड़ी	जनहित
2.	डा0 विनीत	सामु0 स्वा0 केन्द्र खानपुर, हरिद्वार	सामु0 स्वा0 केन्द्र चम्बा, टिहरी	जनहित
3.	डा0 स्मृति थपलियाल,	सामु0 स्वा0 केन्द्र खाड़ी, टिहरी गढ़वाल	सामु0 स्वा0 केन्द्र विकास नगर, देहरादून	जनहित
4.	डा0 ललित जैन	सामु0 स्वा0 केन्द्र चम्बा, टिहरी गढ़वाल	एस0 पी0 एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश	जनहित
5.	डा0 प्रतिभा मधुकर	सामु0 स्वा0 केन्द्र पोखरी, चमोली	सामु0 स्वा0 केन्द्र लढौरा, हरिद्वार	निजी अनुरोध
6.	डा0 इमरान खान	सामु0 स्वा0 केन्द्र मदननेगी, टिहरी गढ़वाल	सामु0 स्वा0 केन्द्र सहिया, देहरादून	निजी अनुरोध
7.	डा0 सोनाली अग्रवाल	सामु0 स्वा0 केन्द्र थत्यूड, टिहरी गढ़वाल	सामु0 स्वा0 केन्द्र ज्वालापुर, हरिद्वार	निजी अनुरोध
8.	डा0 अंकिता भदूला	सामु0 स्वा0 केन्द्र यमकेश्वर, पौड़ी	सामु0 स्वा0 केन्द्र नारसन, हरिद्वार	निजी अनुरोध

उपरोक्त स्थानान्तरित दन्त शल्यकों को वार्षिक स्थानान्तरण धारा -23 में निर्धारित समय सारणी अनुसार नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करायें।


(विनीता शाह)  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/ २०८५१

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव चिकित्सा स्वा0 एवं प0 क0 शासन देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी.....।
5. सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0 टी0 सैल।
7. गार्ड फाईल।

  
(बी0एस0महर)  
अपर निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड  
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/ देहरादून:दिनांक 9 जून, 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पद धारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री पूरन सिंह रौतेला	सामु० स्वा० केन्द्र बाजपुर, ऊधम सिंह नगर	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/20840

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा० एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

बी० एस० महर  
अपर निदेश०(दन्त)

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड  
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून।**

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/ देहरादून:दिनांक 9 जून, 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री शाहनवाज	एच0 एम0 जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप -बी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	जनहित

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/20238

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

बी0 एस0 महर  
अपर निदेश0(दन्त)

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड**  
**ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/ देहरादून:दिनांक जून, 9 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री महेश चन्द्र	सामु0 स्वा0 केन्द्र गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	सामु0 स्वा0 केन्द्र किच्छा, ऊधम सिंह नगर	जनहित

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासत्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/20836

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

बी0 एस0 महर  
अपर निदेश0(दन्त)

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड**  
**ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/ देहरादून:दिनांक जून, 9 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री नरेन्द्र सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-बी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	जनहित

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/20832

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रायली।
- गार्ड फाईल।

Bh.

बी0 एस0 महर  
अपर निदेशक (दन्त)



**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड**  
**ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com ई:-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/ देहरादून:दिनांक जून, 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर निजी अनुरोध पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री भरत पाण्डे	दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	सामु0 स्वा0 केन्द्र डोईवाला, देहरादून	निजी अनुरोध

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/ 20834

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

बी0 एस0 महर  
अपर निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड  
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई-मेल dghealth, Uttarakhand @ gmail.com ई-दूरभाष 0135-2808746  
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/33/2023/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2023

**आदेश**

शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हार्डजिनिरस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-4 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर निजी अनुरोध पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	श्री राजेन्द्र सिंह बोरा	सामु0 स्वा0 केन्द्र कालाढूंगी, नैनीताल	बी0 डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल	निजी अनुरोध

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

विनीता शाह  
महानिदेशक

तददिनांकित।

पत्र संख्या-2प/रा0दन्त/33/2023/20842

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- गार्ड फाईल।

बी0एस0 महर  
अपर निदेशक (दन्त)